कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना, म0प्र0

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 60/12–13 दिनांक 8–3–2013

निम्नलिखित कार्यो के लिए प्रपत्र "अ" में नवीन एकीकृत प्रतिशत प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 22–3–2013 को मुहरबंद निविदाएं दोपहर 3.00 बजे तक प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 भोपाल के द्वारा दिनांक 15–6–2009 से प्रभावशील तथा अभी तक संशोधन सहित एस0ओ0आर0 दर पर आमंत्रित की जाती हैं । निविदा उसी दिन दोपहर 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 21–3–2013 को शाम 5.30 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर परीक्षण उपरांत निर्धारित राशि जमा करने पर प्रदाय किये जावेंगे।

कार्य का नाम : पन्ना जिले के विभिन्न विकासखंडों के अंतर्गत नलजल योजनाओं में 2X2X2.5 मीटर साइज के ब्रिक मेसनरी पंप हाउस का निर्माण कार्य।

क्र.	ग्रुप	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	–	पन्ना जिले के विभिन्न विकासखंडों के अंतर्गत निम्न नलजल योजनाओं में 2X2X2.5 मी0 1 नग ब्रिक मेसनरी पंप हाउस का निर्माण कार्य					
–	–	1. कुंजवन मुख्य मंत्री पेयजल योजना विकासखंड पन्ना 2. सिमरी बैश्य मुख्यमंत्री पेयजल योजना विकासखंड पन्ना 3. खोरा नलजल योजना, विकासखंड अजयगढ़	1.56	3120.00	1000.00	"सी" एवं उससे ऊपर	2 माह वर्षाकाल सहित

अन्य शर्ते :–

(1) सशर्त निविदा किसी प्रकार से मान्य नहीं होगी ।

(2) निविदा प्रपत्र वही ठेकेदार ले सकते है जिन्होने कार्यालय से पूर्व आवंटित कार्य यदि कोई हो तो पूर्ण किये हो ।

(3) धरोहर राशि एफ0डी0आर0,टी0डी0आर0,एवं एन0एस0सी0 द्वारा ही मान्य की जावेगी ।

(4) बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

(5) कार्य स्थल का निरीक्षण एवं अन्य वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पन्ना से निविदा प्राप्त करने के पूर्व सम्पर्क कर सकते हैं।

(6) भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जाना संभव होगा।

(7) आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–
   1. आयकर चुकारा प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की छायाप्रति ।
   2. टिन नम्बर की प्रति एवं जीवित पंजीयन की प्रति।
   3. विभाग में किये गये कार्यो की सूची ।

(8) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा की वैधता अवधि 120 दिन होगी।

(9) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ वैध्य पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।

(10) निविदा हेतु धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी, जोकि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के पक्ष में देय हो । बिना अमानत राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।

(11) ठेकेदार को सभी निर्माण सामग्री की व्यवस्था स्वयं करना है तथा स्वयं के व्यय से कार्य स्थल तक पहुंचाना है । इसके लिए अलग से परिवहन राशि आदि को कोई प्रावधान नहीं है ।

(12) कार्य की मात्रा घटाई / बढाई जा सकती है ।

(13). आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

1. आयकर चुकारा प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की छायाप्रति ।
2. टिन नम्बर की प्रति एवं जीवित पंजीयन की प्रति।
3. विभाग में किये गये कार्यो की सूची ।

(14) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2006 के अनुसार वर्क्स कांट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वेट की कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी एवं प्रपत्र 32 में प्रमाण पत्र दिया जावेगा ।

(15) म0प्र0 भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा 2 के तहत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर की कटौती देयकों से की जावेगी, जो वापसी योग्य नहीं है ।

(16) उक्त कार्य हेतु औजार एवं संयंत्र विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किए जाएंगे ।

(17) निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों की सकल मजदूरी भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा, इसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

(18) देयक के साथ एजेंसी द्वारा मजदूरी भुगतान संबंधी पंचनामा अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा

(19) किसी भी परिस्थिति में मूल्य वृद्धि (एस्केलेशन) देय नहीं होगा ।

(20) अमानत राशि कार्य कार्य मैन्युअल के अनुसार जमा करनी होगी । बैंक गारंटी मान्य नहीं की जावेगी ।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)

पृ0क0/ 941 /वलेलि0/का0यं0/लोस्वायां0/खण्ड/13 पन्ना, दिनांक : 8.3.13

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर ।
4. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
5. कलेक्टर जिला पन्ना ।
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड छतरपुर/टीकमगढ़/सागर/दमोह
7. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग पन्ना/ छतरपुर/टीकमगढ़/सागर/दमोह (म0प्र0)
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पन्ना/ छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह
9. कार्यपालन यंत्री, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पन्ना
10. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पन्ना/पवई
12. एन0आई0सी0 पन्ना
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क पन्ना
14. अध्यक्ष, ठेकेदार संघ पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)